

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून: दिनांक सितम्बर 09, 2005

विषय:— वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेंट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई/दीर्घकालीन एवं अस्थायी/अल्पकालीन लीजें स्वीकृत की गई थीं। दीर्घकालीन लीजें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती थीं व अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को धृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थीं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

2. वर्ष 1979 से पूर्व अधिमाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के लिए प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग दरों से वार्षिक लीज रेंट लिया जाता था व इन दरों में एकरूपता नहीं थी। लीज रेंट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-8450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृति की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर वनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आगम में लीजधारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेंट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

3. पूर्व में चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीजधारकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :-

3.1 लीजों का नवीनीकरण :

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, गूल, घराटे, पंचायत घर, रास्ता एवं स्कूल जैसे सामुदायिक एवं सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रुपये 5.00 वार्षिक लीज रेंट की दर से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं वागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. एक हेक्टेयर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रु० 15.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

ii. लीजधारक जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेडा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

वन भूमि का मूल्य(प्रीमियम) = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज अवधि

99

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. लीजधारक जिनके पास एक नाली (दो से दस मीटर) तक वन भूमि लीज पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रु० 20.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

ii. लीजधारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेडा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेडा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का पाँच प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीजों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित सत्त्वसत्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा :

(i) किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल का ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उत्त पन्थ के श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिह्नित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा।

(ii) जिन लीजधारकों द्वारा लीज का व्यावसायिक उपयोग (धूप एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रुपये प्रोरेडा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मांगों में वन भूमि का मूल्य न लेकर जंगल से प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, मृदा एवं जल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई सीमा तक नवीनीकरण रूपया एक-प्रति-एकड़-वार्षिक लीज रेंट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीजें :

3.2.1 भविष्य में सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नली दी जायेगी।

3.2.2 उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की नीति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं सारखटा से सम्बंधित संयोजनों के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज पर दी जायेगी।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों एवं पैदल मार्गों के निर्माण हेतु रु० 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रु० 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर- 3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 को छोड़कर विभिन्न विकासकार्यों को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित प्रमाण बाजार दर का दोगुना अवधि/99 रूपये प्रॉपेटी मूल्य (प्रिमियम) के रूप में एवं प्रमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

i) जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत वितरण लाइन्स के निर्माण हेतु।

ii) जलाधारित उद्योगों तथा-मिनरल वाटर प्लांट आदि की स्थापना हेतु।

iii) वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकार्यों को वन भूमि लीज पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बंधित उपक्रमों/संस्थाओं को बरीयता दी जायेगी।

iv) राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा से सम्बंधित सुविधाओं/संयंत्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या-6450/14-3-030/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रिमियम) एवं प्रमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।

3.3 उत्लंघन/अतिक्रमण के मामले :

3.3.1 लीजधारक जिनके द्वारा भू-उपयोग में परिवर्तन कर वन भूमि का उपयोग लीज के मूल प्रयोजन से इतर कार्य हेतु किया जा रहा है अथवा लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है

ऐसे लीजधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/७५ साल, प्रीमियम (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वित्त में से के अतिरिक्त, प्रीमियम का शेष शुद्ध धनराशि वसूल स्वरूप की जायेगी।

3.3.2 जिन लीजधारकों द्वारा वग भूमि पर अधिकमण किया गया है, ऐसे सूचना प्रकरणों में वग भूमि पर हुये अधिकमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

3.3.3 लीज पर दो यमी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वग भूमि का स्वयं उपयोग न किया किसी अन्य दायित्व को विवेक सह दिया गया है जिनका विनयी अनुमति के अन्तर्गत सम्बन्धित/हरत-नारित किया गया है, ऐसी लीज को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा। विनयी/वसूल विभाग द्वारा वग भूमि को खाली करने के लिये कदम उठाये, वे लीज धारक।

3.4 विविध :

3.4.1 लीज नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वग भूमि का वग भूमि लीज रेंट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों की पुनर्निरीक्षण/संशोधन आवश्यक नहीं जायेगा।

4. शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 एवं शासनादेश संख्या-666/14-2-000(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 सूचित सीमा तक संशोधित किये जायेंगे।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव

संख्या- 156 /7-1-2005-500(826)/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राक्षस, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०आर०कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भौतिक, कानपुर, लखनऊ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से


(राजेश कुमार)
अपर सचिव

Calculations for Muck disposal Plan

S.N	Description	Qty	Unit
A.	Total quantity of muck generated after considering swelling factor of 16 %	175229.17	Cum
B.	Muck to be used locally during construction as per submitted muck disposal plan	148865.53	Cum
C.	Muck to be dumped	26363.00	Cum
D.	Muck to be dumped at 3 dumping sites	4400.00	Cum
E.	Muck to be used for filling works, construction & protection works at Project Camp Building having area of 5000 m ² .	17500.00	Cum
F.	Balance Muck (C-D-E) to be disposed at Quarry site	4463.00	Cum
G.	Capacity of Quarry Site having size 50 m x 40 m considering 7.0 m height	14000.00	Cum

R. Singh

अधिशाली अभियन्ता (जानपद-लजविप)
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला, पिथौरागढ़



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVNL Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय कम्पनी सचिव, "उज्जवल" महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248 006 (उत्तराखण्ड) दूरभाष 0135-2769919, फैक्स 0135-2761549
Office of the Company Secretary, "Ujjwal" Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 Phone 0135-2769919, fax 0135-2761549
Email: secujvnl@ujvnl.com Web site: uttarakhand@ujvnl.com Fax 0135-2769919

ISO 9001:2008 Certified

CIN No. U40101UR2001SGC025866

No. 338 /UJVNL/CS/07/BM-78


Date: 21/4/2016

All Functional Directors/ED's/General Managers GM (SHP)
UJVNL Limited.

Subject: Minutes of 78th Board Meeting

Please find enclosed herewith the Minutes of the 78th Board Meeting of UJVNL Limited held on 18th March, 2016 for information, necessary action and records. Kindly forward an action taken report on these decisions within a span of 15 days and without waiting for the announcement of the date of next meeting.


You are also requested to arrange to send a copy of these minutes/extract of minutes to your sub-ordinate officers and departments in case they also need a copy of the same


21/4/2016

(Arun Sabharwal)
Company Secretary &
Secretary Audit Committee


Encl: As above.

CC: Managing Director, UJVNL Limited, "Ujjwal", Dehradun.

ALL DGM (SHP) / EE (*) / EE (G.C.) / SMO (SHP)

EE (G.C.)

D.No. 217 GM (SHP)
UJVNL/Rishikesh
Dated 23/04/2016

पंजीकृत कार्यालय: "उज्जवल" महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248 006 (उत्तराखण्ड) दूरभाष 0135-2763808, फैक्स 0135-2763508
Regd. Office: "Ujjwal" Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand) Phone 0135-2763808 Fax 0135-2763508



उत्तराखण्ड राज्य सरकार (जानपद-तजविप)
यूजेवीएन लिमिटेड
देहरादून, पिथौरागढ़

MINUTES OF THE 78th MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF UJVN LIMITED HELD ON 18.03.2016 AT "UJJWAL", MAHARANI BAGH, GMS ROAD, DEHRADUN.

The 78th meeting of Board of Directors was held on 18.03.2016 in which the following Directors were present:-

Present:

Dr. Umakant Panwar	Chairman
Shri J. L. Bajaj	Director
Shri C.M. Vasudev	Director
Shri S. C. Sen	Director
Shri B. S. P. Sinha	Director
Shri Raj Kumar	Director
Shri S.N Verma	Managing Director
Shri B.C.K. Mishra	Director
Shri Sandeep Singhal	Director
Dr. A.C. Joshi	Director
Shri L.M. Verma	Director

Leave of Absence:

Shri Rakesh Sharma	Director
Shri S. Ramaswami	Director
Dr. Bhupender Kaur	Director

Special Invitee:

Shri S.S. Yadav	Managing Director, UPCL & PTCUL
-----------------	---------------------------------

In Attendance:

Shri Arun Sabharwal	Company Secretary
---------------------	-------------------

The meeting commenced with Dr. Umakant Panwar in the Chair.

It was informed to the Board that Mrs. Bhupender Kaur, who has been appointed as Woman Director on the Board, has not submitted Director Identification Number and other statutory Information as yet despite personal meeting and reminders by post. Therefore, the statutory papers regarding the appointment of Woman Director could not be filed.


Agenda Item No. 78.01

To consider and approve the minutes of the 77th Board Meeting held on 17.12.2015.

The Board unanimously approved the minutes of 77th Board meeting held on 17-12-2015.


(Arun Sabharwal)
Company Secretary


(S.N Verma)
Managing Director


(Dr. Umakant Panwar)
Chairman

संविधान संशोधन (जानपद-लजविप)
युनेस्को लिमिटेड
पारवत, पयोरागढ़

Board sought some time to study the draft medical reimbursement rules and also directed to study the guidelines of Govt. of Uttarakhand.

Agenda Item Number 78.21

निगम के कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी एवं उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के नये पदों के सृजन के संबंध में।

Deferred for consideration due to shortage of time

Agenda Item Number 78.22

सीनियर जियोलॉजिस्ट वेतनमान रु0 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु0 8700/- (Pre-revised Rs. 14300.18300) को निगम में सीधी भर्ती पर लिये जाने के संबंध में नियमावली.

After consideration the Board approved the policy as detailed in Board note for filling up the post of Sr. Geologist under direct recruitment.

Agenda Item Number 78.23

Administrative approval for Consultancy Services for "Detailed Design Engineering of Tankul SHP (12MW), Distt Pithoragarh" along with the approval of DPR

Shri S.C. Sen, Independent Director had pointed out that on the agenda his opinion has been wrongly quoted and needs correction.

After consideration, the Board decided to approve DPR and directed that no expenditure should be incurred till the land/environment clearance is obtained and detailed design and engineering should not be carried out at this stage.

Agenda Item Number 78.24


Proposal for approval of DPR of Gupikashi (2x 0.75 MW) SHP along with Investment and Funding Plan

It was directed that the agreement proposed to be entered into with the Panchayats should be brought in the next board meeting

Agenda item Number 78.25

Proposal for purchase of 0.024 hectare private land for Dunao SHP

Board discussed the proposal and after consideration, accorded the approval of payment of compensation to the land owners of 0.024 Hectare private land for Dunao SHP in Tehsil Dharmakot, District Pauri Garhwal amounting to Rs. 84,744 (Rupees Eighty four thousand seven hundred and forty four only). Board was of the view that purchase and acquisition of land are different in legal terms and should be used properly.



(Arun Sabharwal)
Company Secretary



(S.N. Verma)
Managing Director



(Dr. Umakant Pathak)
Chairman



अभिधासी अभियन्ता (ज्ञानपद-तजविप)
इजेवीएन लिमिटेड
धारकुला, पिथौरागढ़